रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 305] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 17, 1973/अग्रहायण 26, 1895

No. 305] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 17, 1973/AGRAHAYANA 26, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 17th December 1973

SUBJECT.—*Import of 'dry fruits' [S. No. 2(a)(ii)/IV] from IRAN during April—June, 1971 and January—March, 1972 licensing periods—Extension in the validity period.*

No. 220-ITC(PN)/73.—Attention of importers is invited to paragraph 9 of the erstwhile Ministry of Foreign Trade Public Notices Nos. 24-ITC(PN)/71, dated the 3rd March, 1971 and No. 29-ITC(PN)/72, dated 22nd February, 1972, in terms of which, licences issued for import of 'dry fruits' from Iran for the periods April—June, 1971 and January—March, 1972, respectively, were valid for a period of six months from the date of issue.

2. On a review of the position, it has been decided that the validity period of unutilized/partially utilized licences, issued for import of 'dry fruits' from Iran in terms of the aforesaid two Public Notices, may be deemed to have been extended upto 31*st December*, 1973, *provided* those licences were issued in 1973. No endorsement to this effect is necessary to be made on the licences by the licensing authority concerned. The customs authorities will allow clearance within the extended date on the basis of this Public Notice, if the imports are otherwise in order.

S. G. BOSE MLLICK,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मन्त्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1973

विषय : अप्रैल–जून, 1971 तथा जनवरी–मार्च, 1972 लाइसेंस अवधियों के दौरान ईरान से "सूखे फलों" [क्रम संख्या : 21 (ए) (2) /4)] का आयात–वैधता अवधि में वृद्धि।

सं० 220-आई० टी० सी० (पी० एन०)/73.—आयातकों का ध्यान भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 24–आई टीसी (पीएन)/71, दिनांक 3 मार्च, 1971 की कंडिका 9 और संख्या : 29—आई०टी०सी० (पीएन) /72, दिनांक 22 फरवरी 1972 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार क्रमशः अप्रैल—जून, 1971 तथा जनवरी–मार्च, 1972 अवधियों के लिए ईरान से "सूखे फलों" के आयात के लिए जारी किए गए लाइसेंस, जारी होने की तारीख से 6 मास की अवधि के लिए वैध थे।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार ईरान से "सूखे फलों" के आयात के लिए जारी किए गए अप्रयुक्त / अंशतः उपयोग किए गए लाइसेंसों की वैधता अवधि 31 दिसम्बर, 1973 तक बढ़ाई गई समझी जाए बशर्ते कि यह लाइसेंस 1973 में जारी किए गए थे। इस सम्बन्ध में सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से लाइसेंसों पर पृष्ठांकन कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आयात अन्यथा रूप से सही है, तो सीमा-शुल्क प्राधिकारी इस सार्वजनिक सूचना में बढ़ाई गई अवधि के आधार पर निकासी की अनुमति दे देंगे।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973